फार्म—ए0

न्यायालयः—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर
निर्णय की तिथि—04.04.2026
सत्र—वाद संख्या—05/2025
सी0आई0एस0 संख्या—05/2025
(गंगटा थाना कांड संख्या—89/2022)

उपस्थित :— **आलोक गुप्ता**

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुंगेर।

परिवादी/सूचक	**बिंदु देवी** पति—धतुरी शर्मा, साकिन—तेतरिया, थाना—गंगटा, जिला—मुंगेर।
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अपर लोक अभियोजक, श्री शाहिद कमाल।
अभियुक्त	**1. पंकज शर्मा,** पिता—शंकर शर्मा, साकिन—टेटरिया, थाना—गंगटा, जिला—मुंगेर। **2. दिनेश शर्मा,** पिता—शंकर शर्मा, साकिन—टेटरिया, थाना—गंगटा, जिला—मुंगेर।
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता—श्री राजेश कुमार शर्मा।

घटना की तिथि	15.05.2022
प्राथमिकी की तिथि	16.05.2022
आरोप पत्र की तिथि	25.06.2022
आरोप गठन की तिथि	06.01.2025
साक्ष्य के प्रारंभ होने की तिथि	20.02.2025
निर्णय हेतु निश्चित करने की तिथि	02.04.2026
निर्णय की तिथि	04.04.2025
सजा आदेश की तिथि	

न्यायालयः—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर
निर्णय की तिथि—04.04.2026
सत्र—वाद संख्या—05/2025
सी0आई0एस0 संख्या—05/2025
(गंगटा थाना कांड संख्या—89/2022)

<u>अभियुक्तगण का विवरण:-</u>

Name of the Accused persons	Date of Arrest/ Surrender	Date of Release on Bail	Offences Charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detention undergone during Trial for purpose of section 428 Cr.P.C.
पंकज शर्मा	17.05.2022	30.09.2022	धारा—**307/34, 341/34, 323/34, 325/34, 504/34 भा0 द0 वि0**	अभियुक्त को रिहा किया गया		
दिनेश शर्मा	20.06.2022	02.08.2022	धारा—**307/34, 341/34, 323/34, 325/34, 504/34 भा0 द0 वि0**			

ए0.—<u>अभियोजन की ओर से इस वाद में कुल चार साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है</u>:—

क्र0 स0	अभियोजन साक्षी क्रम0 स0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
01.	अभियोजन साक्षी संख्या—01	डा0 अंकित कुमार	चिकित्सक साक्षी
02.	अभियोजन साक्षी संख्या—02	बिंदु देवी	सूचक साक्षी
03.	अभियोजन साक्षी संख्या—03	धतुरी शर्मा	पक्षद्रोही
04.	अभियोजन साक्षी संख्या—04	पंचम कुमार	साक्षी

बी.—बचाव पक्ष की ओर से साक्षी, यदि हों—

क्र0 सं0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
	—	

सी.—न्यायालय साक्षी, यदि हों—

क्र0 सं0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)

न्यायालयः—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर
निर्णय की तिथि—04.04.2026
सत्र—वाद संख्या—05/2025
सी0आई0एस0 संख्या—05/2025
(गंगटा थाना कांड संख्या—89/2022)

	—	

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदशों की सुचिः—

ए0—अभियोजनः—

क0 सं0	**प्रदर्श**	**विवरण**
01.	प्रदर्श—पी0—01/पी0डब्लयू0—01	इंजुरी रिपोर्ट
02.	प्रदर्श—पी0—01—01/पी0डब्लयू0—01	पुरक इंजुरी रिपोर्ट
03.	प्रदर्श—पी0—02	औपचारिक प्राथमिकी
02.	प्रदर्श—पी0—03	आरोप—पत्र

बी0—बचाव पक्षः—

क0 सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
	—	

सी0—न्यायालयः—

क0 सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
	—	

डी0—वस्तु प्रदर्शः—

क0 सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
	—	

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद के एक मात्र दो अभियुक्त **1. पंकज शर्मा और 2. दिनेश शर्मा** का सत्र विचारण, उनके विरूद्व अधिरोपित सारभूत आरोपों अंतर्गत धारा—**307/34, 341/34, 323/34, 325/34, 504/34 भा0द0वि0** किया गया है।

2. संक्षेप में, **बिंदु देवी** पति—धतुरी शर्मा, साकिन—तेतरिया, थाना—गंगटा, जिला—मुंगेर का लिखित आवेदन इस प्रकार हैः—

दिनांक—15.05.2022 को रात्रि करीब 09 बजे हमलोग अपने दरवाजे पर बैठे थे और मेरा छोटा पोता सुजीत कुमार घर के सामने खेलने के कम में कुड़ा छिंट दिया। इतने में मेरे ही गॉव के दिनेश शर्मा आये और बोले कि मेरे दरवाजा के सामने भांशा क्यों छींट दिया। इस जगह को अभी साफ करो। फिर हमलोग बोले साफ कर दो। तभी वो चले गये फिर कुछ देर बाद सपरिवार एक मत होकर आये तथा गाली गलौज करने लगा। गाली देने से मना किये तो पंकज शर्मा, दिनेश शर्मा, शंकर शर्मा,

सुलेखा देवी ने जान मारने की नियत से पंकज शर्मा के हाथों में लिये पट्टी से मेरे पति के सर पर मारा जिससे फट गया तथा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा एवं दिनेश शर्मा मेरे पुत्र पंचम के सर पर मारा जिससे उसका सर फट गया तथा बीच—बचाव में मेरे साथ तथा सपरिवार के साथ घर घुस कर मार—पीट करने लगा। ये सभी लोग दबंग हैं तथा मनबढ्ढु हैं।

3. उपरोक्त घटना के संदर्भ में सूचक द्वारा अपना लिखित आवेदन थानाध्यक्ष गंगटा को दिया जिसके आधार पर **गंगटा थाना कांड संख्या—89/2022, दिनांक 16.05.2022** अन्तर्गत **धारा—341/323/307/504/34 भा0द0वि0** के तहत प्राथमिकी दर्ज हुआ।

4. अनुसंधान पुर्ण होने के पश्चात् संबंधित अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण 1. **पंकज शर्मा 2. दीपक शर्मा** के विरूद्ध **आरोप पत्र संख्या—114/22 दिनांक 25.06.2022 धारा अंतर्गत—341, 323, 307, 504/34 भा0द0वि0** समर्पित किया गया तथा **दिनांक 04.07.2022** को **1. पंकज शर्मा और 2. दिनेश शर्मा** के विरूद्ध **धारा—341, 323, 307, 504/34 भा0द0वि0** अंतर्गत के अंतर्गत **संज्ञान** लिया गया तथा दिनांक **18.11.2024** को **दौरा सुपुर्दगी** किया गया और सत्र न्यायालय में प्राप्त हुआ।

5. दौरा सुपुर्दगी के पश्चात् प्रस्तुत कांड का अभिलेख सत्र न्यायालय को प्राप्त हुआ जहॉ पर इसे **सत्र विचारण 05/2025** के रूप में **पंजीकृत** किया गया और प्रस्तुत कांड के अभियुक्तगण **1. पंकज शर्मा और 2. दिनेश शर्मा** के विरूद्ध **आरोप गठन** हेतु सुनिश्चित किया गया। उक्त अभियुक्तगके विरूद्ध **धारा—307/34, 341/34, 323/34, 325/34, 504/34 भा0द0वि0** में आरोप गठन दिनांक **06.01.2025** को किया गया और उसे हिन्दी में अनुवाद कर अभियुक्तगण को सुनाया एवं समझाया गया, जिसे अभियुक्तगण ने उक्त आशय के अपराध कारित किये जाने का विरोध किया तथा न्यायालय के समक्ष विचारण का दावा प्रस्तुत किया।

6. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त अभियुक्तगण 1. **1. पंकज शर्मा और 2. दिनेश शर्मा** का बयान दिनांक—अन्तर्गत **धारा—313 अन्तर्गत दं0प्र0सं0 दिनांक—02.04.2026 को** लेखवद्व किया गया, जिसमें उक्त अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताया है।

7. **न्यायालय के समक्ष, मुख्य विचारणीय प्रश्न है कि ''क्या अभियोजन पक्ष, अपने द्वारा लाये गये उक्त आरोपों को, उपरोक्त अभियुक्तगण पंकज शर्मा और 2. दिनेश**

शर्मा के विरूद्व, युक्तियुक्त सभी शंकाओं से परे साबित करने में पूर्णतया सफल हो सके, अथवा, नहीं?''

मन्तव्य

अभियोजन साक्ष्यः—

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वाद में कुल चार साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है :—

अभियोजन साक्षीः—

क0 स0	अभियोजन साक्षी कम0 स0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
01.	अभियोजन साक्षी संख्या—01	डा0 अंकित कुमार	चिकित्सक साक्षी
02.	अभियोजन साक्षी संख्या—02	बिंदु देवी	सूचक साक्षी
03.	अभियोजन साक्षी संख्या—03	धतुरी शर्मा	पक्षद्रोही
04.	अभियोजन साक्षी संख्या—04	पंचम कुमार	साक्षी

8. **अभियोजन साक्षी संख्या—01, डा0 अंकित कुमार** जो प्रस्तुत कांड के चिकित्सक साक्षी हैं, ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि ''On dated 15.05.2022, I was posted P.H.C. Haveli Kharagput on post of General Medical Officer. On that day I have examined to injured Dhathuri Sharma, Son of Late Sukha Sharma, Resident of village Tetriya, Kharagpur, Vide Emergency No. C-2266 dated 15-05-2022 at 09:20 P.M. and found following injuries on his body.

(I) Lacerated wound of size 1 1/2 Inch X 1/4 Inch approax skin deep at mid scalp.

(ii) Generalised body pain.

Mark of identification: A mole of chest.

Age of injury: Within two hours.

Opinion was reserve and refer to Sadar Hospital Mungr. According to N.C.C.T. brain report done at Kalpana C.T. Scan Centre (Sadar Hospital, Munger) dated 28-05-2022. No. 01- Haemorrhagic contsion with surrounding edema in both temporal lobes. Subdural Hematoma in right temporrietal region of size 5.5 mm thickness. Fracture of right parietal bone squamous temporal bone zygomatic arch and sphenoid bone.

Opinion- Injuries are grievious in nature.

First injury report dated 15-05-2022 and supplementary injury report dated 13-06-2022 are in my handwritting and I bears my signature on both injury report. First injury report marked as Exhibit01/P.W.01 and supplementary injury marked as Exhibit 01/1 P.W.01.

उक्त चिकित्सक साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि यह कहना सही है कि जख्मी को मेरे पास किसने लाया इसका विवरण इंजुरी रिपोर्ट पर वर्णन नहीं है। यह कहना सही है कि इंजुरी रिपोर्ट में कलर ऑफ इंजुरी नहीं लिखा हुआ है। यह पूछे जाने पर कि ऐसा इंजुरी किसी ईंट पर भी गिरने से हो सकता है, साक्षी कहते हैं कि बहुत जोर से दीवाल से टकराने से हो सकता है। बेड सीट न0 इंजुरी रिपोर्ट में अंकित नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि जख्मी ने ईलाज नहीं कराया और इंजुरी रिपोर्ट गलत है।

9. **अभियोजन साक्षी संख्या—02, बिंदु देवी जो प्रस्तुत कांड की सूचिका हैं ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि** प्रस्तुत वाद मैंने ही लायी हूँ, प्रस्तुत कांड की घटना 09.00 बजे रात लगभग तीन वर्ष पहले की है। उस समय मैं अपने दरवाजे पर बैठी थीं। तब मेरा पोता सुजीत कुमार जो उस समय खेल रहा था, खेलते—खेलते कुड़ा—कचरा को छींट दिया। तब दिनेश शर्मा, पंकज और उसके परिवार के लोग से झगड़ा गाली—गलौज हुआ। उसके बाद मेरे पति गिर कर वहीं पर जख्मी हो गए, मेरे पति नथुरी शर्मा को गिरने से माथा पर चोट लगा जिससे उसका माथा फट गया और वे बेहोश हो गए। मेरे पुत्र पंचम को भी चोट लगी। तब मेरे पति और पुत्र का इलाज

हुआ। मैंने गंगटा थाना में लिखवाकर केस की थी। इस लिखित प्राथमिकी पर मेरा टिप्पा है जिसे मैं पहचानती हूॅ। प्राथमिकी लिखने वाले को मैं नहीं जानती हूॅ, प्राथमिकी थाना में लिखवायी थी। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को मैं पहचानती हूॅ जिसका नाम पंकज है और अगर अन्य अभियुक्त भी आज न्यायालय में उपस्थित रहते तो मैं उन्हें भी पहचान लेती।

उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि यह कहना सही है कि लिखित प्राथमिकी को मुझे पढ़कर सुनाया नहीं गया था सिर्फ हमसे उसपर टिप्पा लिया गया था। मेरे पति और लड़के के साथ किसी ने मार—पीट नहीं किया था, उन सबको गिरने से चोट लग गई थी। यह घटना रात के नौ बजे की थी उस समय अॅधेरा था। मेरा पुलिस में बयान नहीं हुआ है। आज इस केस में मैं पहली बार गवाही दे रही हूॅ। इस केस में समझौता हो गया है जिसका समझौता—आवेदन भी दाखिल की हूॅ। अभियुक्त पंकज मेरे घर के बगल के हैं इसलिए मैं इन्हें पहचानती हूॅ।

10. अभियोजन साक्षी संख्या—03, धतुरी शर्मा ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना तीन साल पहले की है। समय नौ बजे रात का था। कुड़ा फेंकने को लेकर झगड़ा हुआ था। दिनेश साव और उसके परिवार के बीच झगड़ा हुआ था। मैं झगड़ा छुड़ाने गया था तो मैं गिर गया और मेरा माथा फट गया। मैंने अपना ईलाज डाक्टर से करवाया था।

अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गयाः

उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि यह कहना सही है कि जब घटना हुई अॅधेरी रात थी। यह कहना सही है कि पंकज और दिनेश ने मेरे साथ मारपीट नहीं किया है। मुझे गिरने के कारण चोट लगी। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ। मैंने प्रस्तुत वाद में समझौता दाखिल किया है जिस पर मेरा टिप्पा है और अभियुक्तगण का दस्तखत भी है इसे पहचानता हुं, इस पर मेरी पत्नी बिन्दु देवी ने भी टिप्पा दिया है और मेरे लड़का पंचम कुमार का भी दस्तखत है साक्षी की पहचान पर दिनांक 19.09.2024 का है इसे प्रदर्श—ए0 अंकित किया जाता है। अभियुक्तगण मेरे गॉव के हैं इसीलिये पहचानता हुॅ।**आज न्यायालय में स्वेच्छा से बिना किसी के डराये—धमकाये गवाही दिया हुॅं।**

11. अभियोजन साक्षी संख्या 04 पंचम कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि प्रस्तुत कांड की घटना तीन साल पहले की है समय 09.00 बजे रात की थी। घटना में दिनेश के साथ मेरे घर में झगड़ा हुआ था कूड़ा फेंकने के लिए। मैं गिर गया था जिससे मुझे माथा पर चोट लग गई थी। मैंने अपना इलाज खरगपुर सरकारी अस्पताल

मे कराया था। मेरे पापा भी जख्मी हो गए थे उनका इलाज भी वहीं पर हुआ था। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त दिनेश शर्मा को मैं पहचानता हूॅ अन्य अभियुक्त पंकज शर्मा भी उपस्थित रहते तो मैं उन्हें भी पहचान लेता।

उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि दिनेश शर्मा और पंकज शर्मा ने मेरे साथ मार–पीट नही किया था। सिर्फ हुज्जत हुआ था जिसमें मैं गिर गया और मुझे चोट आई थी। पुलिस में मेरा बयान नही हुआ था आज मैं न्यायालय में पहली बार बयान दे रहा हूॅ। इस वाद में अभियुक्तगण से समझौता हो गया समझौता आवेदन दिनांक 19.09.2024 को दाखिल किया हूॅ जिसपर मेरा हस्ताक्षर और मेरी मॉ बिन्दु देवी एवं पिता धतूरी शर्मा का टिप्पा है, जिसे पूर्व में प्रदर्श A अंकित किया जा चुका है।उमुदालयगण मेरे ग्रमीण हैं इसलिए मैं इन्हें जानता हूॅ। आज मैंने स्वेच्छा से बिना किसी दवाब के न्यायालय मे गवाही दिया हूॅ।

<u>12. अभियोजन पक्ष की आरे से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्यः–</u>

क0 सं0	प्रदर्श	विवरण
01.	प्रदर्श–पी0–01/पी0डब्लयू0–01	इंजुरी रिपोर्ट
02.	प्रदर्श–पी0–01–01/पी0डब्लयू0–01	पुरक इंजुरी रिपोर्ट
03.	प्रदर्श–पी0–02	औपचारिक प्राथमिकी
02.	प्रदर्श–पी0–03	आरोप–पत्र

प्रस्तुत वाद के आदेश फलक दिनांक 19.03.2026 के अनुसार बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर सफाई साक्ष्य बंद किया जाताा है।

<u>सफाई साक्ष्यः–(ए0)</u>

13. प्रस्तुत कांड के अभियुक्त **1. पंकज शर्मा और 2. दिनेश शर्मा का दिनांक–02.04.2026 को** द0प्र0स0 की धारा–313 के अंतर्गत अपने बयान में घटना कारित किये जाने से इंकार किया है और स्वयं को निर्दोष बताया है। हालॉकि, उन्होंने अपने मुकदमा के समर्थन में कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया है।

<u>विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतियॉः–</u>

14. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा **चार साक्षियों** को परीक्षित कराया गया है और **चार प्रदर्श** को चिन्हित कराया गया है।

<u>बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त की ओर से प्रस्तुतियाँः—</u>

15. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि प्रस्तुत कांड के अभियुक्तगण के विरूद्व कोई मामला नहीं बनता है। **अभियोजन साक्षी संख्या—01, डा0 अंकित कुमार** जो प्रस्तुत कांड के चिकित्सक साक्षी हैं, जो प्रस्तुत कांड के ''चक्षुदर्शी'' साक्षी नहीं है। **अभियोजन साक्षी संख्या—02, बिंदु देवी जो प्रस्तुत कांड की सूचिका हैं ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि** प्रस्तुत कांड की घटना 09.00 बजे रात लगभग तीन वर्ष पहले की है। उस समय मैं अपने दरवाजे पर बैठी थीं। तब मेरा पोता सुजीत कुमार जो उस समय खेल रहा था, खेलते—खेलते कुड़ा—कचरा को छींट दिया। तब दिनेश शर्मा, पंकज और उसके परिवार के लोग से झगड़ा गाली—गलौज हुआ। उसके बाद मेरे पति गिर कर वहीं पर जख्मी हो गए, मेरे पति नथुरी शर्मा को गिरने से माथा पर चोट लगा जिससे उसका माथा फट गया और वे बेहोश हो गए। मेरे पुत्र पंचम को भी चोट लगी। तब मेरे पति और पुत्र का इलाज हुआ। मैंने गंगटा थाना में लिखवाकर केस की थी। इस लिखित प्राथमिकी पर मेरा टिप्पा है जिसे मैं पहचानती हूँ। प्राथमिकी लिखने वाले को मैं नहीं जानती हूँ, प्राथमिकी थाना में लिखवायी थी। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को मैं पहचानती हूँ जिसका नाम पंकज है और अगर अन्य अभियुक्त भी आज न्यायालय में उपस्थित रहते तो मैं उन्हें भी पहचान लेती। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि यह कहना सही है कि लिखित प्राथमिकी को मुझे पढ़कर सुनाया नहीं गया था सिर्फ हमसे उसपर टिप्पा लिया गया था। मेरे पति और लड़के के साथ किसी ने मार—पीट नहीं किया था, उन सबको गिरने से चोट लग गई थी। यह घ टना रात के नौ बजे की थी उस समय अँधेरा था। मेरा पुलिस में बयान नहीं हुआ है। आज इस केस में मैं पहली बार गवाही दे रही हूँ। इस केस में समझौता हो गया है जिसका समझौता—आवेदन भी दाखिल की हूँ। अभियुक्त पंकज मेरे घर के बगल के हैं इसलिए मैं इन्हें पहचानती हूँ। **अभियोजन साक्षी संख्या—03, धतुरी शर्मा ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि** घटना तीन साल पहले की है। समय नौ बजे रात का था। कुड़ा फेंकने को लेकर झगड़ा हुआ था। दिनेश साव और उसके परिवार के बीच झगड़ा हुआ था। मैं झगड़ा छुड़ाने गया था तो मैं गिर गया और मेरा माथा फट गया। मैंने अपना ईलाज डाक्टर से करवाया था।

अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि यह कहना सही है कि जब घटना हुई अँधेरी रात थी। यह कहना सही है कि पंकज और दिनेश ने मेरे साथ मारपीट नहीं किया है। मुझे गिरने के कारण चोट लगी। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ। मैंने प्रस्तुत वाद में समझौता दाखिल किया है जिस पर मेरा टिप्पा है और अभियुक्तगण का दस्तखत भी है

इसे पहचानता हुँ, इस पर मेरी पत्नी बिन्दु देवी ने भी टिप्पा दिया है और मेरे लड़का पंचम कुमार का भी दस्तखत है साक्षी की पहचान पर दिनांक 19.09.2024 का है इसे प्रदर्श—ए0 अंकित किया जाता है। अभियुक्तगण मेरे गॉव के हैं इसीलिये पहचानता हुँ। आज न्यायालय में स्वेच्छा से बिना किसी के डराये—धमकाये गवाही दिया हुँ। **अभियोजन साक्षी संख्या 04 पंचम कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि** प्रस्तुत कांड की घटना तीन साल पहले की है समय 09.00 बजे रात की थी। घटना में दिनेश के साथ मेरे घर में झगड़ा हुआ था कूड़ा फेंकने के लिए। मैं गिर गया था जिससे मुझे माथा पर चोट लग गई थी। **उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि** दिनेश शर्मा और पंकज शर्मा ने मेरे साथ मार—पीट नही किया था। सिर्फ हुज्जत हुआ था जिसमें मैं गिर गया और मुझे चोट आई थी। पुलिस में मेरा बयान नही हुआ था आज मैं न्यायालय में पहली बार बयान दे रहा हूँ। इस वाद में अभियुक्तगण से समझौता हो गया समझौता आवेदन दिनांक 19.09.2024 को दाखिल किया हूँ जिसपर मेरा हस्ताक्षर और मेरी मॉ बिन्दु देवी एवं पिता धतूरी शर्मा का टिप्पा है, जिसे पूर्व में प्रदर्श । अंकित किया जा चुका है।उमुदालयगण मेरे ग्रामीण हैं इसलिए मैं इन्हें जानता हूँ। आज मैंने स्वेच्छा से बिना किसी दवाब के न्यायालय मे गवाही दिया हूँ।

उसके बाद बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया है कि किसी भी अभियोजन साक्षी ने प्रस्तुत कांड का समर्थन नहीं किया है। तद्नुसार प्रस्तुत कांड के आरोपी व्यक्ति मुक्त होने के पात्र हैं।

न्यायालय निष्कर्षः—

16. प्रस्तुत कांड अभियुक्तगण **1. पंकज शर्मा और 2. दीपक शर्मा** के विरूद्व **धारा—307 / 34, 341 / 34, 323 / 34, 325 / 34, 504 / 34 भा0द0वि0** के तहत आरोप है। अभियोजन पक्ष ने कुल चार साक्षियों को परीक्षित करवाया है। **अभियोजन साक्षी संख्या—01, डा0 अंकित कुमार** जो प्रस्तुत कांड के चिकित्सक साक्षी हैं, जो प्रस्तुत कांड के ''चक्षुदर्शी'' साक्षी नहीं है। **अभियोजन साक्षी संख्या—02, बिंदु देवी जो प्रस्तुत कांड की सूचिका हैं ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि** प्रस्तुत कांड की घटना 09.00 बजे रात लगभग तीन वर्ष पहले की है। उस समय मैं अपने दरवाजे पर बैठी थीं। तब मेरा पोता सुजीत कुमार जो उस समय खेल रहा था, खेलते—खेलते कुड़ा—कचरा को छींट दिया। तब दिनेश शर्मा, पंकज और उसके परिवार के लोग से झगड़ा गाली—गलौज हुआ। उसके बाद मेरे पति गिर कर वहीं पर जख्मी हो गए, मेरे पति नथुरी शर्मा को गिरने से माथा पर चोट लगा जिससे उसका माथा फट गया और वे बेहोश हो गए। मेरे पुत्र पंचम को भी चोट लगी। तब मेरे पति और पुत्र का इलाज हुआ। मैंने गंगटा थाना में लिखवाकर केस की थी। इस लिखित प्राथमिकी पर मेरा टिप्पा है जिसे मैं पहचानती हूँ। प्राथमिकी लिखने वाले को मैं नहीं जानती हूँ, प्राथमिकी थाना में लिखवायी थी। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को मैं पहचानती हूँ जिसका

नाम पंकज है और अगर अन्य अभियुक्त भी आज न्यायालय में उपस्थित रहते तो मैं उन्हें भी पहचान लेती। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि यह कहना सही है कि लिखित प्राथमिकी को मुझे पढ़कर सुनाया नहीं गया था सिर्फ हमसे उसपर टिप्पा लिया गया था। मेरे पति और लड़के के साथ किसी ने मार—पीट नहीं किया था, उन सबको गिरने से चोट लग गई थी। यह घटना रात के नौ बजे की थी उस समय अँधेरा था। मेरा पुलिस में बयान नहीं हुआ है। आज इस केस में मैं पहली बार गवाही दे रही हूँ। इस केस में समझौता हो गया है जिसका समझौता—आवेदन भी दाखिल की हूँ। अभियुक्त पंकज मेरे घर के बगल के हैं इसलिए मैं इन्हें पहचानती हूँ। **अभियोजन साक्षी संख्या—03, धतुरी शर्मा ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि** घटना तीन साल पहले की है। समय नौ बजे रात का था। कुड़ा फेंकने को लेकर झगड़ा हुआ था। दिनेश साव और उसके परिवार के बीच झगड़ा हुआ था। मैं झगड़ा छुड़ाने गया था तो मैं गिर गया और मेरा माथा फट गया। मैंने अपना ईलाज डाक्टर से करवाया था। **अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि** यह कहना सही है कि जब घटना हुई अँधेरी रात थी। यह कहना सही है कि पंकज और दिनेश ने मेरे साथ मारपीट नहीं किया है। मुझे गिरने के कारण चोट लगी। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ। मैंने प्रस्तुत वाद में समझौता दाखिल किया है जिस पर मेरा टिप्पा है और अभियुक्तगण का दस्तखत भी है इसे पहचानता हुँ, इस पर मेरी पत्नी बिन्दु देवी ने भी टिप्पा दिया है और मेरे लड़का पंचम कुमार का भी दस्तखत है साक्षी की पहचान पर दिनांक 19.09.2024 का है इसे प्रदर्श—ए0 अंकित किया जाता है। अभियुक्तगण मेरे गॉव के हैं इसीलिये पहचानता हुँ। आज न्यायालय में स्वेच्छा से बिना किसी के डराये—धमकाये गवाही दिया हुँ। **अभियोजन साक्षी संख्या 04, पंचम कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि** प्रस्तुत कांड की घटना तीन साल पहले की है समय 09.00 बजे रात की थी। घटना में दिनेश के साथ मेरे घर में झगड़ा हुआ था कूड़ा फेंकने के लिए। मैं गिर गया था जिससे मुझे माथा पर चोट लग गई थी। **उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि** दिनेश शर्मा और पंकज शर्मा ने मेरे साथ मार—पीट नही किया था। सिर्फ हुज्जत हुआ था जिसमें मैं गिर गया और मुझे चोट आई थी। पुलिस में मेरा बयान नही हुआ था आज मैं न्यायालय में पहली बार बयान दे रहा हूँ। इस वाद में अभियुक्तगण से समझौता हो गया समझौता आवेदन दिनांक 19.09.2024 को दाखिल किया हूँ जिसपर मेरा हस्ताक्षर और मेरी मॉ बिन्दु देवी एवं पिता धतूरी शर्मा का टिप्पा है, जिसे पूर्व में प्रदर्श । अंकित किया जा चुका है।उमुदालयगण मेरे ग्रमीण हैं इसलिए मैं इन्हें जानता हूँ। आज मैंने स्वेच्छा से बिना किसी दवाब के न्यायालय मे गवाही दिया हूँ।

उपरोक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुये, मेरा मानना है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त सभी उचित संदेहों से परे अपना मामला साबित करने में असफल रहा है।

आदेश

अतः यह न्यायालय, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण **1. पंकज शर्मा और 2. दिनेश शर्मा** के विरूद्ध **अधिरोपित सारभूत आरोपों अंतर्गत धारा—307 / 34, 341 / 34, 323 / 34, 325 / 34, 504 / 34 भा0द0वि0** के आरोप से मुक्त करने

का आदेश देती है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त विचारण के दौरान जमानत प्राप्त किये हुए है।

अतः अभियुक्तगण एवं उनके जमानतदारों को जमानत बंधपत्र के दायित्वों से पुर्णतया स्वतंत्र करने का आदेश देती है।

(लेखापित एवं शुद्विकृत)

(आलोक गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुंगेर।
04.04.2026

(आलोक गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुंगेर।
04.04.2026